



राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ  
एनआरएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: एफ ( )/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015-16/22

दिनांक : 10/12/15

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त

न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड,  
रीजनल ऑफिस, द्वितीय तल नेहरू पैलेस,  
टॉक रोड, जयपुर-302015  
फोन नं. 0141-2740974  
E-mail : rm.singh@newindia.co.in

विषय :- भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मरीज की पहचान करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारम्भ 13 दिसम्बर 2015 को होना है इसके अन्तर्गत आने वाले एम्पैनल्ड निजी अस्पतालो के साथ अनुबंध हस्ताक्षर करते समय बीमा कम्पनी यह सुनिश्चित करे कि अनुबंध में यह दर्ज हो कि योजना के अन्तर्गत आने वाले मरीजों की पहचान ओ.पी.डी. जाँच के पहले ही स्वास्थ्य मार्गदर्शक द्वारा कर ली जाये एवं मरीज के भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी होने पर और एडमिट करने अर्थात् IPD बन जाने की स्थिति में मरीज से ओ.पी.डी. चार्जज ना लिये जायें।

(डॉ. नीरज के. पवन)  
अतिरिक्त मिशन निदेशक  
एन.एच.एम.

क्रमांक: एफ ( )/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015-16/22

दिनांक : 10/12/15

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
2. निजी सचिव, एम.डी., आर.आई.एस.एल., राजस्थान।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
5. जिला कलेक्टर, समस्त।
6. समस्त, प्राचार्य/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
7. समस्त, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक, एन.एच.एम., राजस्थान।
9. न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड।
10. प्रभारी सर्वर रूम को लेख है कि ई-मेल एवं वेब साइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मिशन निदेशक  
एन.एच.एम.